न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी- श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- छिक्री 81 सन 2022
पंजीयन दिनांक :- 15.06.2022

1. हरलाल पिता प्रथा जति जाट- मृतक के बजाय
   1/1. रामेश्वर लाल पिता हरलाल जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
   1/2. कालू पिता हरलाल जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
   1/3. रामा बाई पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
   1/4. कुशबा बाई पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ (राज.)

--अपीलांटगण

विरुद्ध

1. तुलसी बाई पिता प्रथा पत्नी स्वर्गीय किशना जाति जाट निवासी नान्दोली हाल सुथारखेडा तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
2. सवलाल उर्फ हवलाल पिता प्रथा- मृतक के बजाय
   2/1. शंकरलाल पिता सवलाल उर्फ हवलाल जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
3. ताराचन्द पिता हीरा जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
4. नारायण पिता हीरा जाति जाट - मृतक के बजाय
   4/1. मेहताब बाई पत्नी नारायण जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
   4/2. लक्ष्मी बाई पुत्री नारायण जाति जाट निवासी नान्दोली हाल सुथारखेडा तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
5. भेरूलाल पिता हीरा जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
6. डालू पिता गुलाब जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
7. उदा पिता गुलाब जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

8. उदी बाई पुत्री गुलाब पत्नी गेरू जाति जाट निवासी मकूलदास की खेडी तहसील डूंगला जिला चितौडगढ
9. चम्पा पुत्री गुलाब जाति जाट निवासी नान्दोली हाल सती का खेडा तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
10. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा खरदेवला तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
11. शाखा प्रबन्धक राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक लि. शाखा बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
12. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
13. तहसीलदार बडीसादडी जिला चितौडगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी बमिसल क्रमांक 222/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2008

उपस्थित– 1. छोगालाल जाट– अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. शांतिलाल बसेर– अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/1
3. रेस्पोडेंट संख्या 3 से लगायत 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 12 व 13

निर्णय

दिनांकः–27.12.2023

प्रकरण के तथ्य सक्षैप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादिया ने अपीलांटगण के पिता हरलाल व रेस्पोडेंट संख्या 2 से लगायत 13 व मृतक प्रतिवादिया गमेरीबाई व शंकर के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत मौजा नान्दोली पटवार हल्का भाटोली तहसील बडीसादडी की खाता संख्या 17 में अंकित आराजी नम्बर 29,45,137,138,139,140,141,142,143,147,155,156,178 कुल किता 16 कुल रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा जो कि रेस्पोडेंट संख्या 2 से लगायत 9 तक व अपीलांटगण के पिता हरलाल के संयुक्त खातेदारी की है व खाता संख्या 88 में अंकित आराजी नम्बर 39/2, 39/10, 39/15 कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा कृषि आराजियात को पैतृक कृषि आराजियात होना बताते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपने हक व हिस्से की घोषणा व उसी अनुसार बंटवाडा किये जाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया प्रथा की जायंदा पुत्री व अपीलांटगण के पिता हरलाल व रेस्पोडेंट संख्या 2 सवलाल उर्फ हवलाल प्रथा के पुत्र है। प्रथा की विरासत में रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया प्रथा की जायंदा पुत्री होने से 1/3 हक व हिस्से की घोषणात्मक डिक्री व बंटवाडा कृषि आराजियात व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारीणी है।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटगण के पिता हरलाल व रेस्पोडेंट संख्या 2 से लगायत 13 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलांटगण के पिता हरलाल की अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में किसी प्रकार की प्रोपर तामिल नही हुई। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध दिनांक 25.9.2007 को अन्य प्रतिवादीगण की तामिल होना मानते हुए अपीलांटगण के पिता हरलाल की भी तामिल होना मानते हुए अपीलांटगण के पिता हरलाल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र में अन्य प्रतिवादीगण रेस्पोडेंटगण का इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत होने से बिना तनकियात कायम किये पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 नियत की जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र को रेकार्ड पर लिया जाकर उक्त पत्रावली में अन्तिम बहस समायत की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण कृषि आराजियात में प्रथा के हक व हिस्से में रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया का 1/3 हक व हिस्सा घोषित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया के पक्ष में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2008 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान ने इस न्यायालय में प्रथम अपील म्याद बहार प्रस्तुत की गई व म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 हरलाल के वारिसान की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण वादी व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/1 व रेस्पोडेंट संख्या 12 व 13 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अन्य रेस्पोडेंटगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली जरिये पत्रांक तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र रेस्पोडेंट संख्या 2/1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र व जवाब का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया ने वादपत्र प्रस्तुत किया है जबकी प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोडेंट संख्या 2/1 जो अपीलांटगण के पिता हरलाल के साथ प्रतिवादी संख्या 1 का वारिस है ने जवाब प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना धारा 5 कानून म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अपीलांटगण ने अपील के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 14.07.2022 को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 मय शपथ पत्र जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर राजस्व रेकार्ड नकल नामान्तकरण संख्या 54 दिनांक 03.04.1969, नकल नामान्तकरण संख्या 80 दिनांक 03.01.1970, नकल नामान्तकरण संख्या 171 दिनांक 13.06.1978, नकल जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 मौजा नान्दोली व नकल जमाबंदी संवत् 2031 से 2034, नकल जमाबंदी आधार वर्ष, नकल नामान्तकरण मौजा नान्दोली नामान्तकरण संख्या 435, नकल जमाबंदी संवत् 1968 से 1971 की खाता संख्या 109, नकल जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 खाता संख्या 88, नकल जमाबंदी संवत् 2056 से 2059, नकल जमाबंदी आधार वर्ष, नकल जमाबंदी संवत् 2044 से 2047, नकल जमाबंदी संवत् 2035 से 2038, नकल जमाबंदी संवत् 2031 से 2034, नकल जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 व नकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 व मिलान क्षैत्रफल मौजा नान्दोली की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण के पिता प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने से उक्त दस्तावेज अपीलांटगण जो कि मौजा नान्दोली तहसील बडीसादडी के साबिक आराजी नम्बर 39/2 मीन, 39/10 मीन, 39/15 मीन कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 112 रकबा 0.01 हैक्टर आराजी नम्बर 113 रकबा 1.39 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.40 हैक्टर कृषि आराजियात अपीलांटगण के पिता स्वर्गीय हरलाल जी की आवंटनशुदा कृषि आराजियात है जो कि हरलाल को प्रथा से अलग रहते हुए आवंटित हुई है। जिसको रेकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित है। उक्त प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेंट संख्या 2/1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेज जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुए राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां है जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में अपीलांटगण के पिता हरलाल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रस्तुत नही कर पाए है जिनको रेकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित व विधिसम्मत होने से प्रार्थनापत्र के साथ राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां रेकार्ड पर ली जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया ने स्वर्गीय प्रथा की कृषि आराजियात के साथ अपीलांटगण के पिता हरलाल प्रतिवादी संख्या 2 को साबिक आराजी नम्बर 39/2, 39/10 व 39/15 कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा कृषि आराजियात जो अलग-अलग रहते हुए अपीलांटगण के पिता हरलाल को आवंटित हुई है व आवंटन की पालना में नामान्तकरण संख्या 54,80 व 171 स्वीकृत होकर उक्त कृषि आराजियात अपीलांटगण के पिता हरलाल पिता प्रथा के नाम दर्ज हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया अपीलांटगण के पिता हरलाल की उतराधिकारी नही होकर प्रथा की उतराधिकारिणी है व प्रथा की ही विरासत में हक रखती है फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया ने प्रथा की आराजियात के साथ-साथ अपीलांटगण के पिता हरलाल प्रतिवादी संख्या 2 की आवंटन सुदा साबिक आराजी नम्बर 39/2, 39/10 व 39/15 कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 112 रकबा 0.01 हैक्टर, आराजी नम्बर 113 रकबा 1.39 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.40 हैक्टर कृषि आराजियात को भी वादपत्र मे सम्मिलित कर रेस्पोडेंट संख्या 2 के इकबालिया जवाब दावे को आधार मानते हुए बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अन्य कृषि आराजियात के साथ आवंटनशुदा कृषि आराजियात को भी पैतृक होना मानते हुए सम्पूर्ण कृषि आराजियात के सम्बन्ध में 1/3-1/3 हक व हिस्से की घोषणात्मक डिक्री पारित कर दी है जो विधिविरूद्ध होकर अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अपीलांटगण के पिता हरलाल पिता प्रथा को मौजा नान्दोली तहसील बडीसादडी की आवंटनशुदा साबिक आराजी नम्बर जो कि खाता संख्या 88 में दर्ज आराजी नम्बर 39/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 39/10 रकबा 1 बीघा, 39/15 रकबा 4 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 112, 113 कुल किता 2 कुल रकबा 1.40 हैक्टर के सम्बन्ध में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 अपीलांट के विरूद्ध अन्य प्रतिवादीगण के साथ एकपक्षीय कार्यवाही हुई है। जिसके सम्बन्ध में अपीलांटगण के पिता हरलाल ने दिनांक 17.12.2009 को दो तरफा का आवेदन प्रस्तुत किया जो वर्ष 2009 से लगाकर 2022 तक विचाराधीन रही है व दिनांक 23.05.2022 को उक्त प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस में निरस्त करवाया गया है। बहस में यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री पारित कर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम अंकित करवाया उसके पश्चात 2021 में अपीलांटगण संख्या 1 व 2 व रेस्पोडेंट संख्या 2/1 के पक्ष में अपना हिस्सा हक त्याग कर दिया है जिससे भी अपीलांटगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 12 व 13 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना मानते हुए अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली में आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के आवेदन के साथ प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों का व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया ने अपीलांटगण के पिता हरलाल व अन्य रेस्पोडेंटगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध बिना तामिल हुए दिनांक 25.09.2007 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर अन्य प्रतिवादीगण का इकबालिया जवाबदावा लिया जाकर बिना तनकियात कायम किये रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया का गवाह में शपथपत्र लिया जाकर वादपत्र में सम्पूर्ण आराजियात के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया को भी प्रथा की जायंदा पुत्री मानते हुए सम्पूर्ण कृषि आराजियात में 1/3-1/3 हक व हिस्से की घोषणात्मक निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि वादपत्र की कॉलम संख्या 3 में खाता संख्या 88 में दर्ज साबिक आराजी नम्बर 39/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा , आराजी नम्बर 39/10 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 39/15 रकबा 4 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 112 रकबा 0.01 हैक्टर आराजी नम्बर 113 रकबा 1.39 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.40 हैक्टर कृषि आराजियात अपीलांटगण के पिता हरलाल पिता प्रथा को नामान्तकरण संख्या 54 व नामान्तकरण संख्या 80 व नामान्तकरण संख्या 171 से अलग-अलग आवंटित होकर अपीलांटगण के पिता हरलाल पिता प्रथा के नाम दर्ज हुई है जो कभी भी रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया के पिता प्रथा पिता चतुरभुज के नाम दर्ज नही रही है जिससे अन्य कृषि आराजियात के साथ अपीलांटगण के पिता प्रतिवादी संख्या 2 की आवंटन शुदा कृषि आराजियात के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2008 को डिक्री किया है जिससे प्रतिवादी संख्या 2 हरलाल के वारिसान की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से आवंटनशुदा कृषि आराजियात के सम्बन्ध में स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 2 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक 23.12.2008 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर मौजा नान्दोली तहसील बडीसादडी की साबिक आराजी नम्बर 39/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 39/10 रकबा 1 बीघा, 39/15 रकबा 4 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 112 रकबा 0.01 हैक्टर, आराजी नम्बर 113 रकबा 1.39 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.40 हैक्टर के सम्बन्ध में पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर रेस्पोडेंट संख्या 13 भूमिधारी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त आवंटनशुदा कृषि आराजियात पुनः प्रतिवादी संख्या 2 जिसका स्वर्गवास हो जाने व अपीलांटगण उसके वैध उतराधिकारी होने से अपीलांटगण के नाम दर्ज करे व शेष कृषि आराजियात खाता संख्या 17 के सम्बन्ध में पारित निर्णय व डिक्री जो पैतृक कृषि आराजियात के सम्बन्ध में होने से यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावें।

(प्रदीप सिंह सांखला)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 81/2022/डिक्री

1. हरलाल पिता प्रथा जति जाट- मृतक के बजाय
   1/1. रामेश्वर लाल पिता हरलाल जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
   1/2. कालू पिता हरलाल जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
   1/3. रामा बाई पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
   1/4. कुशबा बाई पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगढ (राज.)

-अपीलांटगण

विरूद्ध

1. तुलसी बाई पिता प्रथा पत्नी स्वर्गीय किशना जाति जाट निवासी नान्दोली हाल सुथारखेडा तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
2. सवलाल उर्फ हवलाल पिता प्रथा- मृतक के बजाय
   2/1. शंकरलाल पिता सवलाल उर्फ हवलाल जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
3. ताराचन्द पिता हीरा जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
4. नारायण पिता हीरा जाति जाट - मृतक के बजाय
   4/1. मेहताब बाई पत्नी नारायण जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
   4/2. लक्ष्मी बाई पुत्री नारायण जाति जाट निवासी नान्दोली हाल सुथारखेडा तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
5. भेरूलाल पिता हीरा जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
6. डालू पिता गुलाब जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
7. उदा पिता गुलाब जाति जाट निवासी नान्दोली तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

8. उदी बाई पुत्री गुलाब पत्नी गेरू जाति जाट निवासी मकूलदास की खेडी तहसील डूंगला जिला चितौडगढ
9. चम्पा पुत्री गुलाब जाति जाट निवासी नान्दोली हाल सती का खेडा तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
10. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा खरदेवला तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
11. शाखा प्रबन्धक राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक लि. शाखा बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
12. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चितौडगढ
13. तहसीलदार बडीसादडी जिला चितौडगढ

–रेस्पोडेन्टगण

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी प्रकरण संख्या 222/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2008 वाद पत्र बाबत घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : अपील अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 2 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2008 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर मौजा नान्दोली तहसील बडीसादडी की साबिक आराजी नम्बर 39/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 39/10 रकबा 1 बीघा, 39/15 रकबा 4 बीघा कुल किता कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 112 रकबा 0.01 हैक्टर, आराजी नम्बर 113 रकबा 1.39 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.40 हैक्टर के सम्बन्ध में पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर रेस्पोडेंट संख्या 13 भूमिधारी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त भूमि पुनः प्रतिवादी संख्या 2 जिसका स्वर्गवास हो जाने व अपीलांटगण उसके वैध उताराधिकारी होने से उनके नाम दर्ज करे व शेष आराजियात खाता संख्या 17 के सम्बन्ध में पारित निर्णय व डिक्री जो पैतृक कृषि आराजियात के सम्बन्ध में होने से यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,.............................. द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे .... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(प्रदीप सिंह सांखला)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ